



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 279834

BV 279834



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित वी. कोड:- 1080

महायदा मूल्य :- 4,05,000 / -रुपये

अग्रिम धन :- 1,00,000 / -रुपये

स्टाम्प शुल्क :- 8,200 / -रुपये

हम कि श्रीमति सितारा परवीन (AADHAR NO. 9459 0365 8187)

माली स्वर्गीय श्री मौहम्मद आफाक निवासी ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला
मुजफ्फरनगर बजात खुद व संरक्षिका व माता मौहम्मद अहबाब व मौहम्मद फरदीन व

सितारा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 913547

2

मौहम्मद अयान अव्यस्कगण आयु क्रमशः 14 व 12 व 8 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय श्री मौहम्मद आफाक व कुमारी महजबी परवीन अव्यस्क आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री मौहम्मद आफाक निवासीगण ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष के हैं।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष को स्वर्गीय आफाक से उत्तराधिकार में मिली हुई है, और जिसके बारे में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार में है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एवं मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान में बन्धक नहीं है, और न ही किसी जमानत में दी हुई है,

सितारा

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 913548

3

और जिसके बारे में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मध्य उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा चार लाख पाँच हजार 4,05,000/-रुपये में द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारों के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय, प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनों पक्ष बँनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक 15-09-2018 ई0 तक का समय निश्चित करते हैं, प्रथम पक्ष ने मुबलिग एक लाख 1,00,000/-रुपये अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से द्वारा चैक एच0डी0एफ0सी0 बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त किये हैं। जो बँनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष

रसितारा



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 913549

4

बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओं के पाबन्द रहेगे। नं01:- यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:- यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओं में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तों की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:- यह कि शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च

रसितारा

Signature



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

BE 558420

बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत में करनी पड़ी तो जो खर्च अदालत में होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:- यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्च से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं05:- यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नहीं किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:- यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के

सितार



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

BE 558421

समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:- यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:- यह कि श्रीमति सितारा परवीन प्रथम पक्ष मौहम्मद अहबाब आदि अव्यस्कगण उक्त की निम्नलिखित भाग भूमि के विक्रय करने की अनुमति श्रीमान जिला जज मुजफ्फरनगर से अपने खर्चे पर अन्दर मियाद मजकूरा प्राप्त करके बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने की पाबन्द होगी। यदि श्रीमति सितारा परवीन प्रथम पक्ष को अव्यस्कगण उक्त की निम्नलिखित भाग भूमि के विक्रय करने की अनुमति अन्दर मियाद प्राप्त नहीं होती है, तो जिस दिनांक में अव्यस्कगण उक्त की निम्नलिखित भाग भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्राप्त होगी उसकी सूचना प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को देने की दिनांक से एक 1

सितारा



Deuman



भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

रु. 50



INDIA

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

BE 558422

माह के अन्दर द्वितीय पक्ष बैनामा अपने हक में कराने का पाबन्द होगा। नं०९:—यह कि उक्त शर्तों के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य में भी पाबन्द रहेंगे। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति:—

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम सुजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:—
जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के खाता संख्या 638 के नम्बर खसरा 2152/1.0070 हैक्टेयर का 209/10070 भाग व नम्बर खसरा 2154/0.

रिप्लर



Plum



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

BE 558423

4900 हैक्टेयर का हक व हिस्सा कुल प्रथम पक्ष यानि 102/4900 भाग भागानुसार क्षेत्र 0.0311 हैक्टेयर, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

सितारा



साक्षी

साक्षी

हमारे सामने हुए श्री अमर
कि शुभ सुनू मागला

हमारे सामने हुए श्री रामशार
कि शुभ सुनू मागला



तहरीर ता०:- 27-03-2017 ई०

ड्राफ्टकर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर

88
25/8/2017
81
81

BE 228473

आज दिनांक 28/03/2017 को
बही सं. 1 जिल्द सं. 9889
पृष्ठ सं. 365 से 388 पर क्रमांक 2011
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


श्रीमती रश्मि प्रभा(नरेश कुमार नि0सहायक)
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
28/3/2017

